न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 5/17 दायर दिनांक 01.12.2017 फैसल दिनांक 31.12.2020

श्री शंकर पिता खानिया मीणा आयु 40 वर्ष निवासी पिपलिया गटारफला तहसील धरियावद

प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवा पिता भेरिया मीणा
2. श्रीमती नानकी बेवा भेरिया मीणा निवासीयान गटारफला तहसील धरियावद

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन निरस्त हेतु

उपस्थितः– 1– सुश्री कला आर्य, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

2– श्री शरद चिप्पड, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक 31.12.2020

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण के पिता भेरिया पिता गौतम मीणा को मौजा पिपलिया के आराजी खसरा संख्या 192 रकबा 1.16 हैक्टर का आवंटन विधि विरूद्व किया गया जो कानून के मान्य सिद्वान्तों से विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि विपक्षी ने दिनांक 03.02.1992 को उक्त भूमि का आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पटवारी द्वारा दिनांक 08.02.1992 को रिपोर्ट की गई व एक दिन पश्चात् ही आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन करने की सहमति दे दी गई। जिससे यह प्रतित होता है कि ना तो पटवारी द्वारा मौके पर कब्जे की रिपोर्ट की गई व ना ही आवंटन कमेटी ने इस बाबत् गौर किया कि मौके पर उक्त आराजी संख्या 192 किसे कब्जे में है।

3. यह कि विपक्षीगण के पिता भेरिया व प्रार्थी के पिता श्री खानिया मीणा सगे भाई रहे है तथा आराजी नम्बर 192 प्रारम्भ से ही खानिया का कब्जा रहा है। फिर भी आवंटन कमेटी द्वारा भेरिया के पक्ष में उक्त भूमि का आवंटन करने में गम्भीर भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

4. यह कि वादग्रस्त आराजी धरियावद–प्रतापगढ़ मुख्य रोड़ पर स्थित है इसी आराजी से लगती हुई पीछे की तरफ प्रार्थी शंकर पिता खानिया व अन्य की आराजीयात है जो कि आराजी खसरा संख्या 192 के साथ साथ अपनी खातेशुदा आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थी का आराजी खसरा संख्या 192 पर करीब 60–70 वर्ष पहले से मकान भी बना हुआ है। जो कि प्रार्थी के पिता खानिया मीणा द्वारा बनाया गया है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। इस बाबत् भी आवंटन पत्रावली में पटवारी द्वारा किसी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं किया गया है ना ही पटवारी ने भेरिया के कब्जे बाबत् कोई इन्द्राज किया है।
5. यह कि विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 192 को धीरे–धीरे अन्य लोगों को नुमाईशी तौर पर हस्तान्तरित करने से जब अन्य व्यक्ति जिसमे रमेश पिता नाथु चौधरी ने मौके पर आकर प्रार्थी से झगड़ा किया तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि विपक्षी के पिता श्री भेरिया ने गलत तरीके से मौके पर कब्जा नही होते हुए भी भूमि को अपने नाम पर आवंटित करवा ली है। तब जाकर प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन पत्रावली की नकल ली गई।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीगण के पिता भेरिया को किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई। नियत दिनांक को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 09.07.2020 को मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि आराजी संख्या 192 रकबा 2.02 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा ना ही पटवारी द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार का मौका पर्चा बनाया गया क्योंकि मौके पर आज भी प्रार्थी शंकर पिता खानिया की झोपडी बनी हुई है जिसमें शंकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। तहसीलदार धरियावद की रिपोर्ट की अनुसार अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 192 रकबा 2.02 बीघा अप्रार्थी श्री भेरा पिता गोतम मीणासा देह के नाम गेर खातेदारी दर्ज हुई है। इसके पश्चात नामान्तरण संख्या 653 दिनांक 20.01.2006 से विरासत से देवा पिता भेरा एवं नानकी पति भेरा मीणा के नाम दर्ज हुई है। नामान्तरण संख्या 657 दिनांक 23.01.2006 से खातेदारी दर्ज होने के पश्चात उक्त खातेदार ने रकबा 2.02 बीघा में से 0.06 बीघा संपरिवर्तन करा कर नामान्तरण संख्या 717 दिनांक 26.02.2010 से विक्रय की है एवं शेष रकबा भी वर्ष 2015 में विक्रय कर दिया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी को आवंटित भुमि का आवंटन सही है। आवंटन में कोई अनियमितता होना सिद्व नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)